न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 29/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/214

1. रामेश्वरलाल पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी 3 एनएम ढाबा ग्राम पंचायत 11/12 एनडी नाहरांवाली तहसील अनूपगढ़

—निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत 11/12 एनडी नाहरांवाली तहसील अनूपगढ़
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति अनूपगढ़

—गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :—

1. श्री बलवीर गोदारा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित
3. अप्रार्थी सं. 2, अनुपस्थित

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28/8/2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. प्रकरण(प्र.सं. 12/16) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ हैं। निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत 11/12 एनडी नाहरावाली के नोटिस दिनांक 20.01.2016 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता को अन्तिम नोटिस जारी करते हुए सार्वजनिक रास्ते पर से अवैध कब्जा हटाने हेतु निर्देशित किया गया हैं के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गयी हैं।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। ग्राम पंचायत से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित हुए। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नाहरावाली ने प्रतिवेदन मय दस्तावेज पेश किये। अप्रार्थी सं. 2 नोटिस तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हैं। वकील निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 की बहस निगरानी सुनी गयी।
3. अधिवक्ता निगरानीकर्ता, निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी के परिवार का पुराना कब्जाशुदा रिहायशी भूखण्ड हैं। भूखण्ड के एक हिस्से में मकान बना रखा हैं। जिसमें वे 50 वर्षों से अधिक अवधि से निवास कर रहे हैं। निगरानीकर्ता द्वारा सार्वजनिक जगह पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया हैं। प्रार्थी के भूखण्ड के पूर्व दिशा में तथा उत्तर दिशा में पहले से रास्ता हैं, ग्राम पंचायत भूखण्ड के पश्चिम दिशा में जबरन रास्ता निककालना चाहते हैं। जबकि वहां कोई रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी के मकान के सामने के निवासियों ने कुछ हिस्सा पर गली पर कब्जा करके गली को संकरा कर दिया है परन्तु ग्राम पंचायत उनके स्थान पर प्रार्थी के भूखण्ड में से रास्ता निकालना चाहते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को कब्जा हटाने हेतु दिया गया नोटिस निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
4. अप्रार्थी सं. 1 ने निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत के सार्वजनिक रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं जिस कारण उन्हें कब्जा हटाये जाने के लिए नोटिस दिया गया था वर्तमान में उक्त कब्जा के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा गठित कमेटी द्वारा भी जांच किये जाने पर अतिक्रमण पाया गया हैं। निगरानीकर्ता द्वारा मा. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पिटीशन भी खारिज हो चुकी हैं। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन हैं। निगरानी अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी को जिस भूमि पर से कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया गया हैं वह भूखण्ड उनके परिवार का 50 वर्षों से कब्जाशुदा भूखण्ड हैं। ग्राम पंचायत उनके कब्जे के भूखण्ड में से रास्ता निकालना चाहती हैं जबकि पूर्व से कोई रास्ता नहीं हैं। ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जांच रिपोर्ट दिनांक 11.03.2016 द्वारा कमेटी ने निगरानीकर्ता द्वारा रास्ता

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

की भूमि पर कब्जा किया जाना माना हैं। इसके अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति अनूपगढ़ द्वारा सरपंच/ग्रा.वि.अ. ग्राम पंचायत 20 एलएम को जारी पत्र दिनांक 26.07.2024 के अनुसार विकास अधिकारी द्वारा अतिक्रमण की जांच सहायक विकास अधिकारी के द्वारा करवाए जाने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा आम रास्ते की सड़क पर पक्की दीवार कर अतिक्रमण किया जाने से अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत को लिखा हैं। मा. उच्च न्यायायल में प्रस्तुत रिट याचिका भी खारिज हो चुकी हैं। पूर्व में कमेटी एवं वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी द्वारा की गयी जांच में मौका पर प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक रास्ता की जगह पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित हैं। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का पट्टा अथवा अन्य दस्तावेज उनके पक्ष में होने संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। ग्राम पंचायत की सार्वजनिक स्थानों पर से अतिक्रमण हटाने हेतु ग्राम पंचायत स्वतंत्र हैं। निगरानी सारहीन होने के कारण अस्वीकार योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी निगरानीकर्ता इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28/8/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)